राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax:-0141- 2222403/2223239 web:- www.lsgraj.org E-mail ID:- dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक:एफ(55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/19/ 8651 दिनांक 18/3/19

अतिआवश्यक

रजिस्टर्ड A.D.

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर परिषद/पालिका,
करौली, जैसलमेर, बूंदी, नागौर,
नाथद्वारा, नोखा, चौमूं

विषयः–नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था संचालन/संधारण के संबंध में।

संदर्भः–अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा के पत्रांक न.पा.नो/अति./2019/10855 दिनांक 05.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त जल राजस्व से जल वितरण योजना संचालन के बिजली बिलों का भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जावे, ताकि जल आपूर्ति बाधित नही हो। यदि आवश्यक हो तो जल वितरण व्यवस्था के संधारण के खर्चों की व्यवस्था अन्य मद से की जावे, ताकि आने वाली ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के शहरों की पेयजल व्यवस्था बाधित न हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण किसी भी मद से विद्युत बिलों का भुगतान नही किया जा सकता हो तो आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी जिले के डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता से व्यक्तिशः संपर्क कर उन्हें विद्युत बिलों के भुगतान की अण्डरटेकिंग (वचनबद्धता) प्रस्तुत करेंगे।

कृपया नोट करें आने वाली ग्रीष्म ऋतु/लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जल वितरण व्यवस्था में कोई व्यवधान पहुचता है तो आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी पूर्ण रूप से व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ(55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/19/ 8652–8676 दिनांक: 18/3/19

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, नागौर, जैसलमेर, करौली, बूंदी, बीकानेर, राजसमंद एवं जयपुर।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि पालना सुनिश्चित की जावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।
8.

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता